उत्तर प्रदेश शासन,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-87/178/84-1-14-15 बामा/2013
लखनऊ दिनॉक 17 फरवरी, 2014

शुद्धि-पत्र

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-86/130/84-1-14-15 बामा/2013, दिनॉक 13 फरवरी, 2014 द्वारा, श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, बदायूँ के इन्स्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बिलियरी साइन्स, नई दिल्ली में लीवर प्रत्यारोपण कराये जाने हेतु अनुमानित व्यय आगणन रू0 14,00,000/- की 75 प्रतिशत धनराशि रू0 10,50,000 (दस लाख पचास हजार रूपये) मात्र चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश दिनॉक 13 फरवरी, 2014 के पृष्ठांकन के बिन्दु-3 पर कोषाधिकारी, बरेली के स्थान पर कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ त्रुटिवश टंकित हो गया है। अत: उक्त प़ष्ठांकन कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर कोषाधिकारी, बरेली पढा जाय। तद्नुसार शासनादेश दिनॉक 13 फरवरी, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कल्लू प्रसाद द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-87/178/84-1-14-तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
3- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग को उनके पत्र संख्या'555/निविमावि-अधि-1(वै0प0-37)/14, दिनॉक 14-2-2014 के संदर्भ में।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/बरेली।
5- सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बरेली सम्भाग, बरेली।
6- श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, बदायूँ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in